बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

का0आ0सं0–जी0 / बी0डी0–09–20–विविध–16 / 21 101 पटना, दिनांक– 6/10/25

'कार्यालय आदेश'

पूर्वादेश को विखंडित करते हुए निम्नांकित पदाधिकारियों / कर्मियों को शास्त्रीनगर / राजवंशीनगर / पुनाईचक में पूर्व से आवंटित आवास को परिवर्तित करते हुए गर्दनीबाग में निम्नरूपेण आवास आवंटित किया जाता है :–

क्र0	नाम / पदनाम	विभाग / कार्यालय	शास्त्रीनगर / राजवंशीनगर / पुनाईचक / गर्दनीबाग में पूर्व से आवंटित आवास सं0	नव आवंटित आवास
1.	श्रीमती संगीता चन्द्र, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	459 / 800, 800 सेट, शास्त्रीनगर	C6/102
2.	श्री राजेश कुमार, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी	पथ निर्माण विभाग	सी / 20 पुनाईचक	C6/504
3.	श्री कमलेश कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी	सामान्य प्रशासन विभाग	Y/1, न्यू पुनाईचक	C5/404
4.	श्री चन्द्रशेखर प्रसाद आजाद, सहायक प्र0पदा0	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	13 / 800, 800 सेट, शास्त्रीनगर	C3/305
5.	डॉ0 मनीष कुमार गौतम, प्रधान लिपिक	लोक स्वा0 परियोजना प्रमण्डल सं0–01	48 / 400, 400 सेट, राजवंशीनगर	B2C/401, बापु टावर के समीप आवास
6.	श्रीमती सुषमा कुमारी, निम्नवर्गीय लिपिक	लोक स्वा0अभि0 विभाग	236 / 400, 400 सेट, राजवंशीनगर	A8/203, गर्दनीबाग

2. सरकारी आवास आवंटन (पटना केन्द्रीय पूल) नियमावली, 1986 के नियम–10 के अधीन आवंटी कर्मी आदेश निर्गत की तिथि से 30 दिनों के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को सूचित करेंगे कि उन्हें आवंटित आवास स्वीकार है अथवा नहीं। यदि आवंटित आवास स्वीकार है तो उक्त अवधि के अन्दर आवास अधिग्रहण कर भवन निर्माण विभाग को तदनुसार सूचित करेंगे। उक्त अवधि में आवंटी कर्मचारी से कोई सूचना प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उनका आवंटन स्वतः रद्द समझा जायेगा।
3. नये आवंटी कर्मी कार्यपालक अभियंता, गर्दनीबाग भवन प्रमंडल से सम्पर्क स्थापित कर आवंटित आवास का प्रभार लेकर उसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी को देंगे।
4. स्थानान्तरण या अन्य कारणों से पटना स्थित पात्र कार्यालय में पदस्थापन की अवधि समाप्त होने पर उनका आवंटन स्वतः रद्द समझा जाएगा और उनसे सरकारी आवास आवंटन (पटना केन्द्रीय पूल) नियमावली, 1986 के नियम–11(2) में विहित प्रावधानों के अनुसार मानक किराया / दण्ड किराया लिया जाएगा तथा नियमानुसार निष्कासन की कार्रवाई की जाएगी।
5. पटना से बाहर स्थानांतरण के उपरांत आवास दखल में रखने की अनुमान्य अवधि मात्र 1 (एक) माह है। उक्त अवधि के पश्चात मानक किराया का 30 गुना प्रति माह की दर से दण्ड किराया एवं मासिक मेंटेनेंश चार्ज वसूल किया जायेगा तथा निष्कासन की भी कार्रवाई की जायेगी।

D: Seema/karyalay Adesh/ 378

6. विभागीय आदेश सं0–3473, दिनांक–30.04.2024 के आलोक में गर्दनीबाग में नवनिर्मित बहुमंजिला आवासीय परिसर के कॉमन एरीया का साफ–सफाई, सुरक्षा व्यवस्था, लिफ्ट, डब्ल्यू0टी0पी0, एस0टी0पी0, जेनरेटर आदि का परिचालन में होने वाले व्यय को ध्यान में रखकर मानक किराया के साथ अतिरिक्त मासिक मेंटेनेंश चार्ज भी लिया जायेगा जो निम्नवत है :–

क्र0	आवास का टाईप	मासिक मानक किराया	मासिक मेंटेनेंश चार्ज	प्रति आवास कुल मासिक कटौती
1.	ए–टाईप आवास, गर्दनीबाग	₹275	₹564	₹839
2.	ए–टाईप आवास, गर्दनीबाग	₹352	₹722	₹1074
3.	सी–टाईप आवास, गर्दनीबाग	₹660	₹880	₹1540

उपर्युक्त मासिक चार्ज को संबंधित आवासी के विभाग द्वारा प्रतिमाह मानक किराया के साथ ही वेतन से कटौती की जायेगी।

7. अगर आवासी का पटना में कोई अपना मकान हो तो आवास आवंटन नियमावली, 1986 के प्रावधान के अनुसार कोई कर्मचारी आवास के किसी भी भाग में अनधिकृत्त रूप से कोई निर्माण कार्य करे ; अथवा आवास का या उसके किसी भाग का उपयोग किसी ऐसे प्रयोजन के लिए करे जिस प्रयोजन के लिए वह नहीं बना है, तो आवास आवंटन (पटना केन्द्रीय पूल) नियमावली,1986 के नियम–22 के तहत भवन सचिव आवास का आवंटन रद्द कर सकेंगे तथा संबंधित पदाधिकारी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई भी की जा सकेगी।

8. आवास परिवर्तन हेतु कोई भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

9. निजी कारणों से यदि आवंटी द्वारा आदेश निर्गत होने के 30 दिनों के अन्दर आवंटित आवास का प्रभार नहीं लिया जाता है तो आवास आवंटन नियमावली–1986 के नियम–10 तथा भवन निर्माण विभाग के संकल्प संख्या–1292(भ), दिनांक 01.03.1997 के नियम–6 (ख) के तहत एक वर्ष तक उन्हें कोई दूसरा आवास आवंटित नहीं किया जायेगा और उक्त आवास दूसरे पात्र पदाधिकारियों को आवंटित कर दिया जायेगा।

10. सरकारी आवास संबंधी किसी भी विषय, विवाद या अनियमितता को आवास आवंटन नियमावली, 1986 के नियमों के अनुरूप निस्तारित किया जाएगा।

11. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
(शिव रंजन)
संयुक्त सचिव–सह–भू–सम्पदा पदाधिकारी

ज्ञापांकः–जी0/बी0डी0–09–20–विविध–16/21 9275(भ) पटना, दिनांकः– 6/10/25

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री, भवन निर्माण विभाग के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/सभी संबंधित आवंटी पदाधिकारी एवं कर्मचारी/मुख्य अभियंता(पटना)/कार्यपालक अभियंता, गर्दनीबाग भवन प्रमण्डल/कार्यपालक अभियंता, पटना पश्चिम भवन प्रमंडल दानापुर, पटना/कार्यपालक अभियंता, कर प्रमण्डल/विद्युत कार्य प्रमण्डल सं0–1 एवं 03/कार्यपालक अभियंता, नई राजधानी प्रमण्डल (पेसू)/निदेशक (तकनीकी), एन.आई.सी/आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

6/10/25

संयुक्त सचिव–सह–भू–सम्पदा पदाधिकारी।

D: Seema/karyalay Adesh/ 379